

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या -

69/2018

निर्णय दिनांक-

25.07.2018

उनवान

1. वदरी पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. हंसराज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. हरिभजन पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. मथुरा पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. हंसा पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादीगण

बनाम


1. घांसी पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. झूमा पत्नि कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. बाबू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कन्हैया पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. गंगाविशन उर्फ विशन पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. राजू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. पप्पू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. कैलाश पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. बदाम पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
10. पषमा पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
11. काली पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
12. वरजी पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
13. ग्यारसी पत्नि हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूथडा जरिये शाखा प्रबंधक
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबंधक
16. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरुस्ती इन्द्राजात

उपस्थित- 1. श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादीगण

2. श्री रूपनारायण मीणा वकील प्रतिवादी न01 से 13


उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-


यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 13 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 48 आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1.43, ख०नं० 246 रकबा 0.15, ख०नं० 247 रकबा 0.16, ख०नं० 248 रकबा 0.30, ख०नं० 249 रकबा 0.19, ख०नं० 297 रकबा 0.49, ख०नं० 301 रकबा 1.55, ख०नं० 384 रकबा 0.30, ख०नं० 386 रकबा 0.12, ख०नं० 92 रकबा 0.35 ख०नं० 93 रकबा 0.36, ख०नं० 94 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.05 हैक्टर वाके ग्राम श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादीगण के पिता किशनलाल पुत्र श्रीनारायण का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार देवलाल पुत्र श्रीकिशन की मृत्यु हो चुकी है। देवलाल के कोई पुत्र अथवा पुत्री संतान नहीं थी तथा देवलाल अविवाहित फोट हुआ था। जिसने अपने जीवनकाल में वादीगण के पिता किशनलाल को गोद ले लिया था तथा वादीगण के पिता किशनलाल द्वारा ही मृतक देवलाल की समस्त सेवा सुश्रुषा की थी। देवलाल की मृत्यु के बाद उसकी पगडी का दस्तुर वादीगण के पिता के ही हुआ था। देवलाल ने अपने जीवनकाल ही अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 पर वादीगण के पिता को काविज करवा दिया था। वादीगण के पिता किशनलाल जब तक जीवित रहा तब तक वह वादग्रस्त आराजीयात में स्वयं के 1/8 हिस्से एवं अपने दत्तक पिता देवलाल पुत्र श्रीकिशन के हिस्से 1/4 अर्थात् 3/8 हिस्से पर काविज काश्त चले आ रहे हैं तथा राज्य सरकार को लगान जमा करवाते आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कभी किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है तथा आपस मौखिक विभाजन कर अपने-अपने हिस्से पर काविज काश्त है।

यह है कि वादीगण की अधियाचना है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 1.43, ख०नं० 246 रकबा 0.15, ख०नं० 247 रकबा 0.16, ख०नं० 248 रकबा 0.30, ख०नं० 249 रकबा 0.19, ख०नं० 297 रकबा 0.49, ख०नं० 301 रकबा 1.55, ख०नं० 384 रकबा 0.30, ख०नं० 386 रकबा 0.12, ख०नं० 92 रकबा 0.35 ख०नं० 93 रकबा 0.36, ख०नं० 94 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.05 हैक्टर वाके ग्राम श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में वादीगण को 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से देवलाल पुत्र श्रीकिशन का नाम तर्क किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.7.2018 को उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया । वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा तथा वादी के गवाहान कन्हैयालाल, बाबू व घांसी गुर्जर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।


उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2072-73 वाके ग्राम श्योदासपुरा में आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 1.43, ख०नं० 246 रकबा 0.15, ख०नं० 247 रकबा 0.16, ख०नं० 248 रकबा 0.30, ख०नं० 249 रकबा 0.19, ख०नं० 297 रकबा 0.49, ख०नं० 301 रकबा 1.55, ख०नं० 384 रकबा 0.30, ख०नं० 386 रकबा 0.12, ख०नं० 92 रकबा 0.35 ख०नं० 93


उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

रकबा 0.36, ख0न0 94 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.05 हैक्टर वाके ग्राम श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक वादीगण के पिता किशनलाल, प्रतिवादीगण 1 ता 8 व 10 ता 15 व देवलाल पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 13 द्वारा इकबाली जवाब दावा व शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीगण के वाद की पुष्टि की गई है। वादीगण ने भी अपने वाद के समर्थन मे गवाह कन्हैयालाल, बाबू व घांसी गुर्जर के भी शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण ने किशनलाल को देवलाल का दत्तक पुत्र होना बताया है। प्रतिवादीगण ने देवलाल के हिस्से की आराजीयात को किशनलाल तथा उसके बाद उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किशनलाल पुत्र श्रीनारायण देवलाल का दत्तक पुत्र रहा है। न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी न01 ता 13 डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 1.43, ख0न0 246 रकबा 0.15, ख0न0 247 रकबा 0.16, ख0न0 248 रकबा 0.30, ख0न0 249 रकबा 0.19, ख0न0 297 रकबा 0.49, ख0न0 301 रकबा 1.55, ख0न0 384 रकबा 0.30, ख0न0 386 रकबा 0.12, ख0न0 92 रकबा 0.35 ख0न0 93 रकबा 0.36, ख0न0 94 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.05 हैक्टर वाके ग्राम श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे से देवलाल पुत्र श्रीकिशन का नाम तर्क कर वादीगण को देवलाल के हिस्से के आराजीयात 1/4 अर्थात् वादीगण के पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 कुल 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकॉन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिक्न खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इकादाई)

उनवान

1. बदरी पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
2. हंसराज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
3. हरिभजन पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
4. मथुरा पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
5. हंसा पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक

क. न्यायालय

बनाम

1. घांसी पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
2. झूमा पत्नि कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
3. बाबू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
4. कन्हैया पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
5. गंगाविशन उर्फ बिशन पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
6. राजू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
7. पप्पू पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
8. कैलाश पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
9. बदाम पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
10. पषमा पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
11. काली पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
12. बरजी पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
13. ग्यारसी पत्नि हजारी जाति गुर्जर निवासी श्योदासपुरा तहसील अनियारा जिला टोंक
14. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूथडा जरिये शाखा प्रबंधक
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबंधक
16. तहसीलदार अनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीनाम

दावा बाबत उदघोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात


मुकदमा नम्बर :- 69 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 व हजारी श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री रूपनारायण मीणा वकील प्रतिवादी न0 1 ता 13 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 1.43, ख0नं0 246 रकबा 0.15, ख0नं0 247 रकबा 0.16, ख0नं0 248 रकबा 0.30, ख0नं0


उप खण्ड अधिकारी
अनियारा

249 रकबा 0.19, ख0नं0 297 रकबा 0.49, ख0नं0 301 रकबा 1.55, ख0नं0 384 रकबा 0.30, ख0नं0 386 रकबा 0.12, ख0नं0 92 रकबा 0.35 ख0नं0 93 रकबा 0.36, ख0नं0 94 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.05 हैक्टर वाके ग्राम श्योदासपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे से देवलाल पुत्र श्रीकिशन का नाम तर्क कर वादीगण को देवलाल के हिस्से के आराजीयात 1/4 अर्थात् वादीगण के पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 कुल 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 07 सन् 2018 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा